सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रामूराम बनाम शांति

11-7-19 हस्तगत् प्रकरण में प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18-07-2012 को पारित स्थगन आदेश जिसके माध्यम से वादगत् भूमि वाके रोही मौजा किलचु सहलोतान के खेत खसरा नम्बर 84 तादादी 45 बीघा 5 बिस्वा जिसके बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 137 तादादी 11.47 हेक्टर बने के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश की अप्रार्थीगणों द्वारा अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तत किया गया है।

चूंकि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वादगत् भूमि के बावत् प्रस्तुत मूल अपील संख्या 83/2012 बउनवानी रामूराम बनाम शान्ति का निस्तारण दिनांक 31-08-2015 को किया जाकर प्रार्थी की अपील स्वीकार/रिमाण्ड करते हुए अपील का निस्तारण अपीलांट के पक्ष में किया जा चुका है। एसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र निष्फल हो चुका है। अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र जरिये निष्फल खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner